S/551/24/2015
विदेश मंत्रालय
(दक्षिणी प्रभाग)
***

जवाहरलाल नेहरु भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 05 फ़रवरी 2016

सेवा में,

श्री बी. के गौतम,
400/1 वाटर वडागाँव गेट झाँसी,
(उ.प्र) पिन- 248002

महोदय,

कृपया अपने आवेदन पत्र क्रमांक – आरटीआई /116/2015- पीएमआर दिनांक- 1 जनवरी 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसमे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपने माननीय प्रधान मंत्री द्वारा ऑस्ट्रेलिया यात्रा की जानकारी मांगी थी।

डा. सं. 138 Dy No. /13 (S-I) दिनांक/Date 5/2/16

2. आपके आवेदन के क्रमांक संख्या (3) के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद मोदी जी-20 लीडर शिखर सम्मेलन (ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया 15 नवम्बर, 2014) में भाग लेने के पश्चात ऑस्ट्रेलिया के द्वि-पक्षीय आधिकारिक यात्रा पर (16-18 नवम्बर, 2014) गए थे । उन्होने आधिकारिक यात्रा के दौरान सिडनी, कैनबरा और मेलबोर्न की यात्रा करी । इस यात्रा से भारत-ऑस्ट्रेलिया द्वि-पक्षीय संबंध प्रगाण हुए । इस यात्रा के दौरान जिन समझोतो/ समझोता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, वे विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वैबसाइट www.mea.gov.in/index-hi.htm के 'प्रलेख' भाग के 'दविपश्रीय / बहुपक्षीय प्रलेख' भाग में पाये जा सकते है ।

3. यदि आप उपरोक्त सूचना से सहमत नहीं है, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत इस पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर निमंलिखित प्रथम अपील प्राधिकारी को अपील कर सकते है ।

श्रीमान पीयूष श्रीवास्तव
निदेशक (दक्षिण) एवं प्रथम अपील प्राधिकारी
विदेश मंत्रालय, कमरा संख्या 3005
जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली- 110011
दूरभाष : 49015229, ईमेल- dirsouth@mea.gov.in

पूजा वेर्णेकर

(पूजा वी वेर्णेकर)
अवर सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष -49015241, ईमेल- usic@mea.gov.in

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक (दक्षिण), विदेश मंत्रालय- सूचनार्थ
2. अवर सचिव, आर॰ टी॰ आई॰ , विदेश मंत्रालय- सूचनार्थ
3. अवर सचिव (DD) - विदेश मंत्रालय- सूचनार्थ

786/FS/15
12-1-15

सूचना का अधिकार
82/15

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/116/2015-पीएमआर

दिनांकः 07/01/2015

डायरी संख्या
Dy. No. 390 /RTI Sec./2015
दिनांक/Date 14/01/2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री बी.के. गौतम से प्राप्त दिनांक 26.12.2014 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 1.1.2014 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(पी०के० शर्मा)
अवर सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2338 2590

1. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
मंत्रिमंडल सचिवालय
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली — बिन्दु संख्या 1 के संबंध में

2. विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
साउथ ब्लाक, नई दिल्ली — बिन्दु संख्या 3 के संबंध में

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री बी.के. गौतम
400/1 वाटर बडागाँव गेट
झाँसी, उत्तर प्रदेश - 284 002

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें। इस कार्यालय के संबंध में सूचना कालान्तर में दे दी जाएगी। बिन्दु संख्या 2 विशिष्ट नहीं हैं।

USC(RTI)

DCP(C)
GoA
Concerned Territorial divs.

MoR

14/1

116 – 15 – 6 JAN 15 116/15

सेवा में, दिनांक– 26/12/2014

श्रीमान सूचना / सक्षम अधिकारी
पी॰ एम॰ ओ॰ कार्यालय संसद भवन
नई दिल्ली (भारत)

D 1 JAN 2015
DAK SECTION

विषय–जन सूचना (अभिलेख प्रतिलिपि) प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र।

01–नाम आवेदक – बी॰के॰ गौतम – 09415179023

02–पता – 400/1 बाहर बड़ागाँव गेट झाँसी (उ॰प्र॰) पिन – 284002

03–सम्बन्धित कार्यालय – पी॰ एम॰ ओ॰ कार्यालय संसद भवन

04–विवरण जन सूचना –

(1) मा॰ नरेन्द्र मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद कितनी कैबिनेट मंत्रीमण्डल की बैठक हुयी। तथा कितनी बैठकों में मा॰ प्रधान मंत्री जी ने भाग लिया तथा उन बैठको में कितने देश हित / जन हित के कार्यो के फैसले लिये गये।

(2) मा॰ प्रधान मंत्री जी / मंत्रीमण्डल द्वारा एक वर्ष की क्या कार्य योजना बनाई गयी, यदि बनाई गयी है तो क्या योजनाये है तथा उनमे से कितनी पर कार्य प्रारम्भ हो गया है और कितनी पर नहीं। जिन पर कार्य शुरु हो गया है वो कब तक पूर्ण होगा और जिन पर नहीं हुआ है तो क्यो नहीं हुआ।

(3) मा॰ प्रधानमंत्री जी द्वारा अब तक कितने अर्थपूर्ण कौन–2 से देशो की यात्रा की है तथा इन यात्राओ पर कितना धन खर्च हुआ है तथा इससे देश को कितना लाभ हुआ है।

उपरोक्त सूचनाओ की प्रमाणित कापी उपलब्ध कराने की कृपा करें।

घोषणा– प्रश्नगत सूचनायें अधिनियम की धारा–8 में उल्लेखित प्रतिबन्धों से मुक्त है।

संलग्नक– सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन शुल्क 10/– भा॰ पोस्टल आर्डर संख्या 13 F 304443 संलग्न है।

हस्ताक्षर आवेदक

Cab Sec
Dir(V)

वैधानिक चेतावनी –

1– यदि व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना 48 घण्टे व अन्य सूचनायें 30 दिन में नहीं दी जाती है या जानबूझ कर गलत, अपूर्ण गुमराह करने वाली सूचनायें दी जाती है। अथवा सूचना की विषय वस्तु को नष्ट किया जाता है अथवा सूचना देने में किसी प्रकार की बाधा डाली जाती है तो सूचना अधिकारी पर 250/– रूपये प्रतिदिन की दर से 25000/– रूपये तक जुर्माना आरोपित करने के साथ विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की जा सकती है।

2– यहकि एक्ट की धारा 8 व 9 एवं 11 में दिये गये आधारों के अलावा अन्य किसी आधार पर सूचना देने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अन्यथा धारा 20 के अन्तर्गत कार्यवाही सम्भव है।

3– यदि सूचना या सूचना का कोई अंश अन्य किसी लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित है तो सूचना अधिकारी 5 दिन के अन्दर प्रार्थनापत्र सही जगह प्रेषित कर देगा व आवेदक को इसकी सूचना देगा। आवेदक को प्रार्थना पत्र वापिस नहीं लौटायेगा।

4– यदि सूचना अधिकारी आवेदन पत्र निरस्त करता है तो उसे कारण सहित अपील हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी यानि सीनियर आफीसर का नाम बतलाना आवश्यक है।

URGENT
RTI ACT
Diary No. 26338
& Date 01/01/15
Last Date 06/01/15
For Disposal

4119030

IPO NO. 13F 304443 ₹10/-